



2026:AHC:31012

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5411** वर्ष **2026**

धर्मेंद्र प्रताप एवं अन्ययाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यविपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: राम जीत मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उन्हें यह रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।
2. रिट याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचीगण को समान वाद-कारण पर नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"